न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 129 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. छगनाराम पुत्र भलजी
2. भैराराम पुत्र उकाराम
3. केवाराम उर्फ केवलराम पुत्र उकाराम
4. हुकमाराम पुत्र उकाराम
5. गूलाराम पुत्र पूनमाराम
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनमाराम
7. गुल्तानमल पुत्र पूनमाराम
8. रेशमीदेवी पत्नी जगदीश
9. महेन्द्रकुमार पुत्र जगदीश
10. गौतमचंद पुत्र जगदीश
11. अशोककुमार पुत्र जगदीश
12. मुकेश पुत्र जगदीश
13. श्रवण पुत्र जगदीश
14. मोहनलाल पुत्र केशाराम
15. गणपतलाल पुत्र केशाराम
16. चम्पालाल पुत्र केशाराम जातियान माली सभी निवासीयान जसोल तहसील पचपदरा

रेस्पोडेंटगण

1. गीतालाल पुत्र राजूजी निवासी जसोल तहसील पचपदरा
2. रणछोड़राम पुत्र राजूजी जाति माली निवासी जसोल तहसील पचपदरा
3. चेलाराम पुत्र तोगाराम का.मु.
   3/1अशोककुमार पुत्र चेलाराम
   3/2बाबूलाल पुत्र चेलाराम
   3/3सुखदेव पुत्र चेलाराम
   3/4तुलसीदेवी पुत्री चेलाराम
   3/5संतोष पुत्री स्व. चेलाराम
   3/6चम्पादेवी पत्नी चेलाराम
4. देगाराम पुत्र तोगाराम
5. धर्माराम पुत्र तोगाराम
6. गणपतलाल पुत्र तोगाराम
7. मौकीदेवी पत्नी तोगाराम जातियान माली निवासीयान लुहारो का वास, नाकोड़ा रोड़ जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2021 बअनवान गीतालाल वगैरा बनाम छगनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री प्रियतम आजाद अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—23.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसोल राजस्व ग्राम जसोल के कृषि भूमि खसरा संख्या 1765/168 की भूमि अपीलकर्तागण व रेस्पोडेंटस 1 ता 3, 5 ता 7 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की तथा साथ ही में अपीलांट संख्या 10 के अपने स्वयं के खरीदशुदा अन्य हक/हिस्से के स्वामित्व की अविभाजित कृषि भूमि आई हुई है रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 2 के स्वयं की दुर्भावना की वजह से एवं मौके पर वास्तविक रूप से उपलब्ध क्षेत्रफल मुताबिक बंटवाड़ा न करवाकर अपीलकर्तागण के हक की आंशिक हिस्से की भूमि को हड़प करने के ईरादे से वाद प्रस्तुत किया

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रिणधरी से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में उतरदाता/वादी का ही हिस्सा अलग करने के आदेश पारित किये गये। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश काउंटर क्लेम का निरतारण विधि सम्मत नहीं किया गया। अपीलकर्तागण अपने समुचे वाद प्रकरण को अपने साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधिक तरीके से कन्टेस्ट करना चाहते है व मामले का गुणावगुणों पर उसे निर्णित करवाना चाहते है, अगर उन्हे उचित व पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तो अपीलकर्तागण न्याय से वंचित व महरूम रह जावेगें। प्रकरण में अपने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने की अपीलकर्तागण के साथ भारी अन्याय होगा एवं उनके द्वारा प्रकरण के विधिक प्रक्रिया से प्रतिवादित करने का अभिप्राय ही समाप्त हो जावेगाव अपीलकर्तागण जो वादग्रस्त भूमि के वास्तविक सह खातेदारान व कब्जा धारक होने से उन्हे भारी क्षति व नुकसान कारित होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

RRT 2014(2) Page 1157

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

उजर पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में जानबुझकर विलम्ब नहीं किया गया तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त अपीलांटगण द्वारा पेश जबाव मय काउन्टर कलेम का निरतारण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदाता/वादी एक का हिस्सा पृथक करने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2021 बअनवान मीठालाल वगैरा बनाम छगनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.08.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर अपीलांटस की आपतियों का निस्तारण करते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.10.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा ...नियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर